न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 112/2026

दायर दिनाँक 19.03.2026

वादीगण

1. भंवरराम पुत्र सुखाराम
2. हरीराम पुत्र सुखाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण कोलिया तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. जेती देवी पत्नी रामदेव
2. प्रकाश धेतरवाल पुत्र रामदेव
3. मांगीदेवी पुत्री रामदेव
4. राकेश धेतरवाल पुत्र रामदेव
5. भागीरथ राम पुत्र चतराराम
6. मंजु पुत्री चतराराम
7. श्रवणराम पुत्र चतराराम
8. शांतिदेवी पत्नी चतराराम
9. सुंडाराम पुत्र चतराराम
10. सुरेश कुमार पुत्र चतराराम
11. सीता देवी पत्नी धन्नाराम
12. मुनेश धेतरवाल पुत्र धन्नाराम
13. अंकित धेतरवाल पुत्र धन्नाराम समस्त जाति जाट निवासीगण कोलिया तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन
14. जेठाराम पुत्र गोपीराम
15. फेफा देवी पत्नी सुखाराम
16. भंवरराम पुत्र सुखाराम (डिलिट)
17. संजय कुमार पुत्र सुखाराम समस्त जाति जाट निवासीगण कोलिया तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन
18. रामेश्वर पुत्र स्व0 मुकनाराम
19. झणकारी पुत्र स्व. मुकनाराम
20. सोहनी पत्नी स्व. मुकनाराम
21. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act., 136 L.R.Act.

उपस्थितः–

1. श्री निर्मल टाक वकील वादीगण।
2. श्री कमल मोठ वकील प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 13.05.2026

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, कि वाके शरहद कोलिया खेत खसरा नम्बर 1475 रकबा 1.5100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 359 रकबा 4.7300 हैक्टेयर, 607 रकबा 2.9300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 608 रकबा 1.6400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 611

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

रकबा 0.0100 हैक्टेयर गै० मु० कुण्ड, खसरा नम्बर 612 रकबा 1.2900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 671 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 809 रकबा 4.6300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 898 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 21 रकबा 4.8600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 555 रकबा 1.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 356 रकबा 4.2500 हैक्टेयर व वाके सरहद नोजला की ढ़ाणी खेत खसरा नम्बर 284 रकबा 4.4100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 283 रकबा 2. 4700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 375 रकबा 8. 3900 हैक्टेयर वादीगण व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 20 की पैत्रिक सम्पति की होकर कब्जे–काश्त व खातेदारी की है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 स्व. पूर्णाराम व नारायणराम के वारिस है। खातेदार रामदेवाराम फौत हो चुके है, जिनके वारिसान प्रतिवादी सं० 1 ता 4 है तथा खातेदार मुकनाराम फौत हो चुके है, जिनके वारिसान वादी सं0 2 व प्रतिवादी सं0 18 ता 20 है।

वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने अरसे–दराज पहले मौखिक बंटवारा मौके पर कर लिया, जिसके अनुसारआज भी पक्षकारान अपने अपने हिस्सों पर काबिज है। जो निम्न प्रकार से हैः–

क) वादी सं० 2 हरीराम व प्रतिवादी रामेश्वर के बंट की भूमिः–

खसरा नम्बर 1475 रकबा 1.5100 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण ।

खसरा नम्बर 612 रकबा 1.2900 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण।

खसरा नम्बर 611 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गै० मु० कुण्ड

ख) प्रतिवादी राकेश, प्रकाश, अंकित, सीता, मुनेश, सुण्डाराम, श्रवण, भागीरथ, सुरेश के बंट की भूमिः–

खसरा नम्बर 607 रकबा 2.9300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 608 रकबा 1.6400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 671 रकबा 0. 3700 हैक्टेयर भूमि में से 04 बीघा भूमि प्रतिवादी सुण्डाराम, श्रवण, भागीरथ, सुरेश के बंट व हिस्से में।

खसरा नम्बर 607 रकबा 2.9300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 608 रकबा 1.6400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 671 रकबा 0. 3700 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी राकेश के 03 बीघा, प्रतिवादी प्रकाश के 03 बीघा व प्रतिवादी अंकित, सीता व मुनेश के 03 बीघा भूमि बंट व हिस्से में।

खसरा नम्बर 608 रकबा 1.6400 हैक्टेयर भूमि में से 56 ग 76 का भूखण्ड प्रतिवादी जेठाराम पुत्र गोंपीराम के बंट व हिस्से में

शेष भूमि प्रतिवादी भंवराराम, संजय कुमार, फेफा देवी के बंट व हिस्से में।

ग) प्रतिवादी प्रकाश, राकेश घेतरवाल, अंकित, सीता, मुनेश के बंट की भूमि :–

खसरा नम्बर 359 रकबा 4.7300 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी प्रकाश के 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी राकेश घेतरवाल के 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी अंकित, सीता, मुनेश के 1/3 हिस्सा बंट व हिस्से में।

घ) प्रतिवादी सुण्डाराम, भागीरथ, सुरेश के बंट की भूमिः–

खसरा नम्बर 809 रकबा 4.6300 हैक्टेयर बारानी 1 सम्पूर्ण खसरा नम्बर 21 रकबा 4. 8600 हैक्टेयर सम्पूर्ण

ड) प्रतिवादी श्रवणराम पुत्र चतराराम के बंट की भूमि :–

खसरा नम्बर 898 रकबा 0.1200 हैक्टेयर बारानी 1 सम्पूर्ण

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

खसरा नम्बर 555 रकबा 1.0500 हैक्टेयर बारानी 1 सम्पूर्ण

च) प्रतिवादी जेठाराम के बंट की भूमि :–
खसरा नम्बर 284 रकबा 4.4100 हैक्टेयर भूमि वाके सरहद नोजला की ढ़ाणी सम्पूर्ण

झ) प्रतिवादी श्रवणराम पुत्र चतराराम के बंट की भूमि :–
खसरा नम्बर 298 रकबा 2.1400 हैक्टेयर वाके सरहद नोजला की ढाणी

ट) प्रतिवादी हरीराम, रामेश्वर पुत्र मुकनाराम के बंट की भूमिः–
खसरा नम्बर 283 रकबा 2.4700 हैक्टेयर वाके सरहद नोजला की ढाणी

ठ) प्रतिवादी हरीराम, रामेश्वर पुत्र मुकनाराम व प्रकाश, राकेश पुत्र रामदेव, अंकित, सीता, मुनेश पुत्र धन्नाराम के बंट की भूमिः–
खसरा नम्बर 375 रकबा 8.3900 हैक्टेयर वाके सरहद नोजला की ढ़ाणी की भूमि में प्रतिवादी हरीराम, रामेश्वर के 1/2 भाग भूमि बंट व हिस्से में
खसरा नम्बर 375 रकबा 8.3900 हैक्टेयर वाके सरहद नोजला की ढाणी की भूमि में से प्रतिवादी प्रकाश के 1/2 भाग में से 1/3 हिस्सा बंट में
खसरा नम्बर 375 रकबा 8.3900 हैक्टेयर वाके सरहद नोजला की ढ़ाणी की भूमि में से प्रतिवादी राकेश के 1/2 भाग में से 1/3 हिस्सा बंट में
खसरा नम्बर 375 रकबा 8.3900 हैक्टेयर वाके सरहद नोजला की ढाणी की भूमि में से प्रतिवादी अंकित, सीता व मुनेश के 1/2 भाग में से 1/3 हिस्सा बंट में।

ढ) प्रतिवादी जेठाराम, गोपीराम, प्रकाश, राकेश, अंकित, सीता व मुनेश के बंट की भूमिः–
वाके सरहद कोलिया के खेत खसरा नम्बर 356 रकबा 4 2500 हैक्टेयर भूमि में से 12 बीघा भूमि प्रतिवादी जेठाराम, गोपीराम के व शेष 14 बीघा 05 बिस्वा भूमि में से प्रतिवादी प्रकाश के 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी राकेश के 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी अंकित, सीता व मुनेश के 1/3 हिस्सा भूमि बट व हिस्से में।

उपरोक्त अनुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्सों पर काबिज है, जिसे वादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत बंटवारे का उल्लेख नजरी नक्शा अनुसूची "अ", "ब" में कर दिया है, जो नजरी नक्शा अनुसूची "अ", "ब" दावा का अहम हिस्सा है।

वादीगण अपने कदीमी बंटवारे में आई भूमि पर अरसे–दराज से काबिज है, मगर राजस्व रेकर्ड में भूमि कम ज्यादा होने से प्रतिवादीगण एलानियाँ धमकी दी की इस वर्ष वर्षा होने पर काश्त करने नहीं देगें। यदि वादी के जायज बन्ट की भूमि में से बेदखल कर दिया तो वादीगण को अपार हानि होगी, जिसकी नगदी से सम्भव नहीं होगी. इसलिए वादी को स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी की इस प्रकार है :–
वाके शरहद कोलिया खेत खसरा नम्बर 1475 रकबा 1.5100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 359 रकबा 4.7300 हैक्टेयर, 607 रकबा 2.9300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 608 रकबा 1. 6400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 611 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गै० मु० कुण्ड, खसरा नम्बर 612 रकबा 1.2900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 671 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 809

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

रकबा 4.6300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 898 रकबा 0. 1200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 21 रकबा 4.8600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 555 रकबा 1.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 356 रकबा 4.2500 हैक्टेयर व वाके सरहद नोजला की ढाणी खेत खसरा नम्बर 284 रकबा 4.4100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 283 रकबा 2. 4700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 375 रकबा 8.3900 हैक्टेयर का नजरी नक्शा अनूसूची 'अ' 'ब' अनुसार बंटवारा कर राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम घोषित किया जावें। खसरा नम्बर 21 रकबा 4.8600 हैक्टेयर भूमि में से खातेदार रामदेवराम के स्थान पर उनके वारिस प्रतिवादी सं० 1 ता 4 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावें तथा खसरा नम्बर 283, 375 के खातेदार मुकनाराम के स्थान पर उनके वारिस वादी सं० 2 व प्रतिवादी सं० 18 ता 20 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावें कि वे वादीगण के बंट की भूमि में न तो स्वयं दखल करें, न ही अन्य से करावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से इकबालिया जवाब पेश हुआ। वादीगण व शेष प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 21 बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित हाने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर अनुसुची अ प्रदर्श–1 एवं अनुसुची ब प्रदर्श–2 लगाये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा पेश हो चुका है। नजरी नक्शा अनुसुची "अ" "ब" के अनुसार पक्षकारन् के मध्य विभाजन प्रस्तावित किया जाता है तो पक्षकरान को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण में अनुसुची "अ" "ब" के अनुसार हुए विभाजन कर पक्षकरान् को खातेदार घोषित किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। पक्षकारान् नजरी नक्शा अनुसुची "अ" "ब" के अनुसार हुए विभाजन के अनुसार खातेदारी घोषित करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। अनुसुची "अ" "ब" के अनुसार विभाजन किया जाकर पक्षकारान् को खातेदार घोषित करने पर उभयपक्षकारान् ने सहमति जाहिर की है। अतः उभय पक्ष की सहमति के आधार पर वादीगण का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश :—

शरहद कोलिया खेत खसरा नम्बर 1475 रकबा 1.5100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 359 रकबा 4.7300 हैक्टेयर, 607 रकबा 2.9300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 608 रकबा 1.6400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 611 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गै० मु० कुण्ड, खसरा नम्बर 612 रकबा 1.2900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 671 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 809 रकबा 4.6300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 898 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 21 रकबा 4.8600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 555 रकबा 1.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 356 रकबा 4.2500 हैक्टेयर व वाके सरहद नोजला की ढ़ाणी खेत खसरा नम्बर 284 रकबा 4.4100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 283 रकबा 2. 4700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 375 रकबा 8.3900 हैक्टेयर भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य

Wkas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरी नक्शा अनुसुची "अ" "ब" वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है। अनुसुची "अ" "ब" निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 13.05.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना